रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 500] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 5, 2015/फाल्गुन 14, 1936
No. 500] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 5, 2015/PHALGUNA 14, 1936

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2015

का.आ. 677(अ).—यत: मै. स्टेट इंडस्ट्रियल प्रमोशन कार्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड, ने तमिलनाडु राज्य में सिपकॉट इण्डस्ट्रियल एरिया, श्रीपेरूम्बदूर में व्यापार एवं सम्भार तंत्र कार्यकलापों सहित इलैक्ट्रानिक्स/दूरसंचार हार्डवेयर एवं सहायक सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और, यत:, केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2141(अ), 22 दिसम्बर, 2006 एवं का.आ.1308(अ), दिनांक 31 जुलाई, 2007 द्वारा तमिलनाडु राज्य में सिपकॉट इण्डस्ट्रियल एरिया, श्रीपेरूम्बदूर में 189.77.1 हेक्टेयर एवं 41.36.9 हेक्टेयर के कुल क्षेत्र को विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित किया था;

और, यत:, मैं. स्टेट इंडस्ट्रियल प्रमोशन कार्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन में से 11.83.2. हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और, यत:, तमिलनाडु सरकार ने उनके दिनांक 25 फरवरी, 2011 के पत्र सं. जी. ओ. (एम.एस.) संख्या 61 के तहत प्रस्ताव को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है;

और, यत:, विकास आयुक्त, मद्रास विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 11.83.2 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है ;

और यत:, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अतंर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संम्बधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है ;

अत: विशेष आर्थिक जोन अधिनियम 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उक्त विशेष आर्थिक जोन में 11.83.2 हेक्टेयर के क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन में से अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणत: कुल क्षेत्र 219.30.8 हेक्टेयर हो जाएगा, जिसमें निम्नलिखित तालिका में

उल्लिखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शमिल हैं अर्थात्:—

क्रम संख्या	ग्राम	सर्वेक्षण संख्या	क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1	शिरूमंगाडु	148 पार्ट	0.030
2		156 पार्ट	0.410
3		163 पार्ट	0.585
4		164 पार्ट	2.320
5		166 पार्ट	1.957
6		167 पार्ट	0.855
7		168 पार्ट	1.100
8		169 पार्ट	0.315
9		178 पार्ट	0.230
10		179 पार्ट	1.405
11		180 पार्ट	1.135
12		181 पार्ट	0.490
13	संडावैलुर-सी	378 पार्ट	1.000
	कुल		**11.83.2**
उपर्युक्त जोड़ के पश्चात एसईजेड का कुल क्षेत्रफल			**219.30.8**

[फा. सं. एफ. 2/146/2006-एसईजेड]

डॉ. गुरूप्रसाद महापात्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd March, 2015

S.O. 677(E).— Whereas, M/s. State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Limited had proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone 'for Electronics/Telecom Hardware and support services including trading and logistics activities at SIPCOT Industrial Area, Sriperumbudur in the State of Tamil Nadu;

And, whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified an area of 189.77.1 hectares and 41.36.9 hectares at SIPCOT Industrial Area, Sriperumbudur in the State of Tamil Nadu as Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notifications Numbers S.O. 2141(E) and S.O. 1308 (E) dated 22nd December, 2006 and 31st July, 2007;

And, whereas, M/s. State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu has now proposed for de-notification of 11.83.2 hectares at the above Special Economic Zone;

And, whereas, the State Government of Tamil Nadu has given its "No Objection" to the proposal vide letter No. G.O (Ms) No. 61 dated 25th February, 2011;

And, whereas, the Development Commissioner, Madras Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 11.83.2 hectares of the Special Economic Zone;

Now, whereas, the Central Government is satisfied that the requirements under sub- section (8) of Section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of Section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby de-notifies an area of 11.83.2 hectares, thereby making resultant area as 219.30.8 hectares, comprising the survey numbers and the area given below in the table, namely:—

TABLE

S.No.	Name of the Village	Survey No.	Area to de-notified (in Hectares)
1	Sirumangadu	148 Part	0.030
2		156 Part	0.410
3		163 Part	0.585
4		164 Part	2.320
5		166 Part	1.957
6		167 Part	0.855
7		168 Part	1.100
8		169 Part	0.315
9		178 Part	0.230
10		179 Part	1.405
11		180 full	1.135
12		181 Part	0.490
13	Sandavellur- 'C'	378 Part	1.000
	Total		**11.83.2 hectares**
	Total Area of SEZ after above deletion		**219.30.8 hectares**

[F. No. F. 2/146/2006-SEZ]

DR. GURUPRASAD MOHAPATRA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.